

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईक्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 46/2025

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

रायसिंह पुत्र सल्ला सिंह जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। वादी
बनाम

1. मदनलाल पुत्र नत्थराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
2. अजमेर सिंह पुत्र प्रेमसिंह
3. धनसिंह पुत्र अमर सिंह
4. नदासिंह पुत्र निधान सिंह
5. पिरथी सिंह पुत्र हाकमसिंह
6. बन्तासिंह पुत्र अमर सिंह
7. बरयामसिंह पुत्र निधानसिंह
8. बिशनसिंह पुत्र निधान सिंह
9. मलसिंह पुत्र निधान सिंह
10. मेहर सिंह पुत्र प्रेमसिंह
11. सुखदेव सिंह पुत्र प्रेम सिंह
12. हरचन्द सिंह पुत्र सजन सिंह
13. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

समस्त जाति तरखान निवासी नुकेरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)



प्रतिवादीगण
दिनांक :- 16.12.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
रुबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानिया वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री.....वकील प्रतिवादी
मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 2 आईडीजी के खाता संख्या 87/31 में 1.328 हैक्टेयर मौके पर कब्जा काशत की भूमि :-

1. रायसिंह पुत्र सल्लाराम जाति जाट साकिन नुकेरा :-

प.न.	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
145/123	15	25/1/0.228 है. नहरी 25/2/0.025 है.गै.मु.रास्ता
145/124	18	4 ता 7/1.012 है.नहरी

2. मदनलाल पुत्र नत्थराम जाति जाट साकिन नुकेरा

प.न.	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
145/124	15	24/2/0.063

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर
दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो
उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी
न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर
उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भूअ.संगरिया
के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/4313 दिनांक 03.11.025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम
डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि रहन
मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।



वसूल मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16/12/2022 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

४८
(जय कौशिक)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संज्ञिक